न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश परासिया, जिला छिंदवाड़ा

बी. ए. कमांक : 65/2022

राजेश पिता दुधन वास्निक, उम्र 32 साल निवासी–राखीढाना, उमरेठ, थाना उमरेठ जिला छिंदवाड़ा	आवेदक/आरोपी
विरूद्ध	
म0प्र0राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा म0प्र0	अनावेदक/अभियोजन

27.10.2022 आवेदक/आरोपी द्वारा श्री इशरार कुरैशी अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दुर्गेश विश्वकर्मा उपस्थित।

इस न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 107/2022 शासन वि0 राजेश वासनिक धारा 450, 376(1), 506 भाग–दो भा0दं0सं0 के मूल अभिलेख प्राप्त।

इस आदेश द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दं०प्र०सं० का निराकरण किया जा रहा है।

उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदन का सार यह है कि, अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में सत्र प्रकरण क्र. 107/22 लंबित है। उक्त प्रकरण में वह दिनांक 14.05.2022 से अभिरक्षा में है। उसकी ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन क्र. 15/22 दिनांक 07.06.2022 को अस्वीकार किया गया है। वह निर्दोष है, उसे पारिवारिक वाद विवाद से रंजिशवश झूंठा फंसाया गया है। वह अपने परिवार का मुख्य आय अर्जनकर्ता है उसके अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकरण में फरियादिया के कथन हो चुके है, फरियादिया ने किसी भी प्रकार की बलात्कार जैसी घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों के पालन हेतु तैयार है। उसका यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र है। अतः प्रकरण की बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए उसे नियमित जमानत का लाभ दिया जावे।

आवेदन पत्र के साथ, यह आवेदन द्वितीय जमानत आवेदन होने एवं इस आशय का अन्य कोई आवेदन पत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित या निराकृत न होने संबंधी गोलू उर्फ राजू वास्निक पिता दुधन वास्निक का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदनपत्र का राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए व्यक्त किया है कि अभियुक्त पर आक्षेपित अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

तर्कों पर विचार किया गया।

अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट है कि अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में सत्र प्रकरण क्र. 107/22, थाना उमरेठ के अपराध क्र. 149/2022, धारा 450, 376 (1), 506 भाग–दो भा0दं0सं0 का प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के प्रकम पर लंबित है। अभियोजन प्रलेखों का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित होता है कि, दिनांक 11–11–21 को फरियादी के जेठ राजेश उससे बोले कि तुम मेरे साथ वरसिम खुदवाने खेत में चलो, मैं तुमको मजदूरी दूंगा। तो वह दोपहर करीब दो बजे अपने जेठ आरोपी राजेश के साथ वरसिम खुदवाने खेत चली गयी। जब वह वरसिम खूर रही थी, तब उसका जेठ उससे बोला कि मुझे तेरे साथ गलत काम

करना है तो उसने अपने जेठ से कहा कि तू कैसी बात कर रहा है और उसके बाद फरियादी अपने घर पानी पीने के लिए चली गयी। उसके घर में कोई नहीं था। जब फरियादी पानी पी रही थी, तभी आरोपी राजेश पीछे से आया और उसकी कमर पकड़ ली और जबदस्ती उसे कुर्सी पर बैठा दिया और उसके हाथ, पैर बांध दिये तथा कपड़ा मुंह में ठूंस दिया, उसकी साड़ी उतारकर बाहर फेंक दिया और उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती गलत काम किया। आरोपी राजेश उससे बोला कि यदि उसने यह बात किसी को बतायी तो उसे जान से खत्म कर देगा। उसके बाद उसने सारी घटना अपनी जेठानी सकुन, पूजा को बतायी। तो वे लोग उसकी बातें सुन नहीं रहे थे। डर के कारण करीब एक माह तक वह अपने घर पर ही रही। 18–01–22 को फरियादी अपने मायके आ गयी। डर के कारण उसके साथ हुई घटना की बात किसी को नहीं बतायी। 16–02–22 को राजेश उसके घर आया और कहा कि तू ससुराल क्यों नहीं आती है तो वह कही कि कल सुबह तक आ जाउंगी। फिर दो माह तक वह अपने मायके में रही। होली के दो दिन पहले उसकी नंद माया का फोन आया कि मनोज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तुम राखीढाना चली आओ तो वह होली के बाद अपने ससुराल राखीढाना आ गयी। 10–12 दिन वह अपने ससुराल में रूकी रही, उससे कोई बात नहीं करता था,जिससे वह अपने मायके आ गयी। फिर कुछ दिन बाद घटना की बात फरियादी ने अपनी मौसी झीनीबाई को बतायी तथा झीनीबाई ने उसकी मां, भाई धनराज, बहन सविता को बतायी। तत्पश्चात घटना की रिपोर्ट थाना उमरेठ में की।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क है कि, मामले की अभियोक्त्री के न्यायालय में कथन हो चुके है तथा अभियोक्त्री ने अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है, इसलिए अभियुक्त जमानत का पात्र है। प्रकरण में वर्तमान में अभियोक्त्री की साक्ष्य अंकित की गयी है तथा शेष महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य अंकित की जाना शेष है। वैसे भी इस स्तर पर साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र को आदेश दिनांक 07.06.2022 द्वारा गुण दोष के आधार पर निराकरण करते हुये, निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में मामले में कोई भी परिस्थितियां परिवर्तित नहीं हुई है। आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदक के कृत्य, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुये अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अभियुक्त **राजेश पिता दुधन वास्निक, उम्र 32 साल निवासी–राखीढाना, उमरेठ, थाना उमरेठ जिला छिंदवाड़ा** की ओर से प्रस्तुत **द्वितीय नियमित** जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है।

आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख सत्र प्रकरण क0–107/2022, शासन विरूद्ध राजेश वासनिक में संलग्न की जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी/सी0आई0एस0 में दर्ज किया जाकर प्रकरण, अभिलेखागार में नियत अवधि में जमा हो।

(समीक्षा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश परासिया
जिला छिंदवाड़ा

प्रतिलिपि :– मूल अभिलेख सत्र प्रकरण क0–107/2022, शासन विरूद्ध राजेश वासनिक में संलग्न किये जाने हेतु प्रेषित।

(समीक्षा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश परासिया
जिला छिंदवाड़ा